

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th July, 2017

(INCOME TAX)

S.O. 2259(E).—In exercise of the powers conferred under section 118 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes being satisfied that it is necessary in the Public interest to do so hereby rescinds the following Notifications of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Direct Taxes *vide* numbers as specified below, except as respects things done or omitted to be done before such recession namely :-

(i) S.O. 1614(E), dated the 26th September, 2006, published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii), dated the 26th September, 2006;

(ii) S.O. 2024(E), dated the 30th November, 2007, published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii), dated the 30th November, 2007; and

(iii) S.O. 3250(E), dated the 25th October, 2013, published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii), dated the 25th October, 2013.

2. This notification shall come into force with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[Notification No. 63/2017/ F. No. 189/1/2017-ITA.I]

DEEPSHIKHA SHARMA, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 2017

(आयकर)

का.आ. 2260(अ).—आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 120 की उप धारा (1) एवं (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एवं भारत सरकार, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अधिसूचनाओं क्रमशः का.आ. 1612(अ) दिनांक 26 सितम्बर, 2006 का.आ. 2023(अ) दिनांक 30 नवम्बर, 2007 एवं का.आ. 3251(अ) दिनांक 25 अक्टूबर, 2013 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (ii) में क्रमशः 26 सितम्बर, 2006, 30 नवम्बर, 2007 एवं 25 अक्टूबर, 2013 को प्रकाशित हुई है, का अधिक्रमण करते हुए, सिवाय इस अधिक्रमण के पूर्व हो चुके अथवा इसके दौरान होने वाले मामलों को छोड़कर, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अधिसूचना संख्या का.आ. 2753(अ) दिनांक 22 अक्टूबर, 2014 जो भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (ii) में दिनांक 22 अक्टूबर, 2014 को प्रकाशित हुआ है, में निम्न संशोधन करता है:-

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में क्रम संख्या 8, 9, 10 एवं 38 की प्रविष्टियां एवं उनसे संबंधित प्रविष्टियां निम्न क्रम संख्या एवं प्रविष्टियां निम्नानुसार संशोधित हो जाएंगी, यथा:-

क्र. सं.	आयकर प्राधिकारी का पदनाम	मुख्यालय	अधिकार क्षेत्र
1	2	3	4
8	प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, कर्नाटक एवं गोआ	बंगलूरू	(i) मुख्य आयकर आयुक्त, बंगलूरू-1 (ii) मुख्य आयकर आयुक्त, बंगलूरू-2 (iii) मुख्य आयकर आयुक्त, पणजी (iv) मुख्य आयकर आयुक्त, (टीडीएस) बंगलूरू